राजस्थान सरकार बनाम महाराज सिंह वगैरा

रैफरेस संख्या 41/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
01-11-2021	उभयपक्ष उप0। विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में विवादित भूमि पर 50 वर्षो से भी अधिक समय से काश्त करना बताते हुये अत्यधिक विलम्ब, वो भी बिना किसी तर्क संगत कारण के पेश करने से संबंधित न्यायिक नजीरे पेश करते हुये रैफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो एवं राजस्व रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। मुताविक जमाबन्दी संवत 2012–2015 आराजी खसरा नम्बर 1244 रकवा 29 वीघा 3 विस्वा मकबूजा मजकूर दर्ज है एवं भूमि का प्रकार वाले कॉलम में "परत" का अंकन है। जमाबन्दी संवत 2020–2023 में आराजी खसरा नम्बर 1244 रकवा 15 विस्वा प्रभू बल्द तुरसी कौम धीमर सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं भूमि का प्रकार गैरमुमकिन खान दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2029–2032 में आराजी खसरा नम्बर 1244 रकवा 15 विस्वा पर जवाहरसिंह, प्रेमसिह, शिवलाल पिसरान प्रभू वा हिस्सा बराबर दर्ज है एवं भूमि की किस्म गैरमुमकिन खान दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2040–2043 में आराजी खसरा नम्बर 1244 रकवा 15 विस्वा पर जवाहरसिंह, प्रेमसिह, शिवलाल पिसरान प्रभू वा हिस्सा बराबर कौम धीमर दर्ज है एवं भूमि की किस्म गैरमुमकिन खान दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2069–2072 में आराजी खसरा नम्बर 1244/3 रकवा 15 विस्वा पर महाराजसिंह, चरनसिंह पि0 श्यौदानसिंह वा हिस्सा बराबर 2/3 सा.देह भानुप्रताप पुत्र बृजेन्द्रसिंह सा. इब्राहिमपुर 1/3 हि. कौम ठाकुर खातेदार दर्ज है एवं भूमि की किस्म गैरमुमकिन खान दर्ज है। इस प्रकार समस्त राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म क्रमशः पडत एवं गैरमुमकिन खान के रूप में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी तहसीलदार रूपवास के द्वारा भूमि की किस्म धारा 16 राजस्थान ... अधिनियम 1955 के तहत प्रतिबंधित एवं अब्दुल रहमान	

काश्तकारी अधिनियम 1955 की 1 से 14 किसी भी श्रेणी में कवर नहीं होती ना ही विवादित भूमि का नदी/नाले के बहाव क्षेत्र की भूमि होना स्पष्ट होता है।

उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार रूपवास द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1244 रकवा 15 विस्वा गैरमुमकिन खान बाबत प्रस्तुत रैफरेस प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज पाया जाता है।

अतः आदेश है कि रैफरेंस प्रार्थना पत्र बाबत खसरा नम्बर 1244 रकवा 15 विस्वा गैरमुमकिन खान ग्राम रूपवास खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखित दफ्तर हो।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर